

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश./ 1948 /2020

दिनांक 23.10.2020

श्रीमती अनुभा सिंह (RJ0903), अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-02, (उत्तर) कोटा को दिनांक 03.11.2020 से 01.05.2021 तक 180 दिनों का मातृत्व अवकाश (प्रथम) दिनांक 02.05.2021 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

सुश्री सोनल पारीख (RJ0850), अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-05 (उत्तर), कोटा को श्रीमती अनुभा सिंह के उक्त मातृत्व अवकाश की अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-02, (उत्तर) कोटा के पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने हेतु एतद्वारा पदस्थापित / नियुक्त कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं :-

1. ऐसे प्रकरण जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है एवं उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित हैं, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे ।
2. सुश्री सोनल पारीख (RJ0850), जिन्को अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-02, (उत्तर) कोटा के अतिरिक्त कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को उक्त न्यायालय के कार्य का निस्तारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कम से कम 40% किया जाना आवश्यक है ।

आज्ञा से
22/10/2020

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.र(4)/74/2015/ 4787

दिनांक 23.10.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा को उनके पत्रांक 3124 दिनांक 09.10.2020 के सन्दर्भ में ।
3. श्रीमती अनुभा सिंह (RJ0903), अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-02, (उत्तर) कोटा।
4. अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-02, (उत्तर) कोटा ।
5. सुश्री सोनल पारीख (RJ0850), अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-05 (उत्तर), कोटा ।
6. अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-05 (उत्तर), कोटा ।
7. संबंधित कोषालय ।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर ।

सहायक रजिस्ट्रार